परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 11 जनवरी, 1974 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुयी उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1974 की प्रथम बैठक की कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :—

| | | |
|---|---|---|
| (1) श्री जगदीश शरण अग्रवाल | | अध्यक्ष |
| (2) श्री वीरेन्द्र सिंह कटारा | आवास आयुक्त | सदस्य |
| (3) श्री अतहर हुसैन | आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन एवं निवास विभाग, | सदस्य |
| (4) श्री एस0पी0गुप्ता | उप सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| (5) श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी | मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन, अभियन्त्रण विभाग | सदस्य |

2— बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

| पद संख्या | विषय | संकल्प संख्या | निर्णय |
|---|---|---|---|
| (1) | परिषद की दिनांक 4 दिसम्बर, 1973 को हुई वर्ष 1973 की पांचवी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि । | 1/(1)/74 | परिषद की दिनांक 4 दिसम्बर, 1973 की पांचवी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई । |
| (2) | परिषद की वर्ष 1973 की पांचवी बैठक दिनांक 4 दिसम्बर, 1973 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट । | 1/(2)/74 | परिषद ने 4-12-73 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया । अनुपालन रिपोर्ट के क्रमांक-5 पर डिजाइन खण्डों में डिवीजनल एकाउन्टेन्ट के स्थान पर हेड क्लर्क-कम-एकाउन्टेंट के पद के सृजन के संबंध में उल्लिखित निर्णय के बारे में वित्त सचिव के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि रु0 50/- प्रतिमाह मानदेय के स्थान पर रु0 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन कर दिया जाय । अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि मानदेय का निर्णय वित्त सचिव के उस दिन की बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि के सुझाव पर लिया गया था । यदि आज की बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि का सुझाव अब यह है कि विशेष वेतन रखा जाय तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है । अत: सर्व-सम्मति से यही निर्णय लिया गया कि रु0 50/- प्रतिमाह मानदेय के स्थान पर रु0 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन कर दिया जाय । |
| (3) | परिषद द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों (Debentures) के लिये निक्षेप निधि (Sinking Fund) की स्थापना । | 1/(3)/74 | परिषद ने सर्वसम्मति से अब तक जारी किये गये चार श्रृंखलाओं में ऋण-पत्रों के लिये निक्षेप निधि स्थापित करने की स्वीकृति इस आधार पर प्रदान की कि राष्ट्रीकृत बैंकों से अधिक से अधिक उपयोगी ढंग से धन विनियोजित किये जाने की योजना प्राप्त की जाय । इस सम्बन्ध में इन चारों श्रृंखलाओं के ऋण पत्रों के लिये इण्डियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ द्वारा बताई गई योजना सबसे अधिक उपयोगी पाई गई तथा इसे परिषद ने स्वीकार किया । |

(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

क्रमश:

(12)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (4) | सिविल लाइन्स भूमि विकास योजना, मुरादाबाद के अन्तर्गत स्थित सर्वश्री हर भजन सिंह, कुलवन्त सिंह तथा श्री जी0डी0 पैंटनी की भूमि/भवन का मामला। | 1/(4)/74 | सभी परिस्थितियों पर विचार करके परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि चूँकि सर्वश्री हर भजन सिंह, कुलवन्त सिंह ने मुकदमा वापिस लेने, बाउन्डरी वाल हटाने व रुपया 14,000/- जमा करने का काम पूरा कर दिया है, अतः योजना में समाविष्ट उनकी भूमि/भवन को अर्जन से मुक्त किया जाये। श्री जी0डी0पटनी द्वारा निर्धारित आनुपातिक वाह्य विकास व्यय जमा करने के बाद उनका मामला परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। |
| (5) | सिविल लाइन्स गृहस्थान योजना। बरेली की धारा 31 के अधीन स्वीकृति। | 1/(5)/74 | परिषद ने सर्वसम्मति से सिविल लाइन्स गृहस्थान योजना को परिषद अधिनियम की धारा 31 के अधीन स्वीकृति प्रदान की। |
| (6) | लखनऊ की तालकटोरा योजना में श्री अरविन्द बाल केन्द्र के लिये भूमि का आवंटन। | 1/(6)/74 | परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अरविन्द सोसाइटी को तालकटोरा योजना में भूमि निस्तारण के नियमानुसार बिना प्रीमियम लिये तथा परिषद द्वारा निर्धारित वार्षिक किराये की दर पर भूमि आवंटित किये जाने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाये कि वे सोसाइटी के प्रतिनिधि से उनकी आवश्यकता तथा बाल केन्द्र स्थापित करने की क्षमता, सोसाइटी रजिस्टर्ड है अथवा नहीं इत्यादि की जाँच करने के पश्चात् भूमि आवंटित किये जाने का [illegible] मामला परिषद के समक्ष रखें। |
| (7) | मुरादाबाद की सिविल लाइन्स योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक भवन तथा दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में। | 1/(7)/74 | परिषद ने व्यवसायिक भवन तथा दुकानों का निर्माण किये जाने के कार्य को सर्वसम्मति से स्वीकार किया तथा प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। |
| (8) | रामतीर्थ व हिल्टन लेन पर बाजार योजना, लखनऊ। | 1(8)/74 | परिषद ने सर्वसम्मति से लखनऊ की रामतीर्थ व हिल्टन लेन पर बाजार योजना के सम्बन्ध में नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि की तथा परिषद अधिनियम की धारा 31 के अधीन इस योजना की स्वीकृति प्रदान की। |
| (9) | गांधीनगर आवास योजना, बरेली के अन्तर्गत श्री कृष्ण गिरी तथा श्री प्यारे लाल गोस्वामी का आवंटित भवन का क्रमशः श्री राज कुमार तथा श्री सन्त राम के नाम आवंटित किया जाना। | 1/(9)/74 | सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री राज कुमार को भवन संख्या 43 तथा श्री सन्त राम को भवन संख्या 42, श्री कृष्ण गिरी तथा श्री प्यारे लाल गोस्वामी के समस्त दायित्वों सहित आवंटित किया जाय। |

========

(हरि [illegible])

उप आवास आयुक्त एवं